न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 54 / 2015

राममूर्ति पत्नी भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी 10 के डब्लू एम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर । ——अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घड़साना
2. मदनलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 4 आरजेएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी घड़साना दिनांक 26.06.2014

उपस्थितिः—

श्री सुशील गोदारा , अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता ।

श्री अनिल बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय **दिनांक :— 31.10.2017**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी घड़साना के आदेश दिनांक 26.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी / रेस्पो.सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए चक 10 के डब्लू एम के मु.न. 178

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प.न. 133/46 के कि.न. 19 से 25 की 1.467 है. भूमि बतौर स्मालपेच में आवंटित की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट ने उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 26.11.2009 को विवादित भूमि का आवंटन किया गया था जिसकी किश्त भी अपीलांट द्वारा जमा करवा दी थी जिसके विरूद्ध जसपालसिंह ने अपील पेश की जो रिमांड की गई । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने नजरसानी प्रा.पत्र पेश कर रखा है। इसी दौरान रेस्पो. ने विवादित भूमि के आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश कर विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो सुना गया और न ही पक्षकार बनाया गया है। अपील पेश करने हेतु अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो. के मुरब्बा में है एवं उसके चिपते हुए है इसलिए रेस्पो. ही इस भूमि के आवंटन का पात्रता रखता है जिसका नियमानुसार आवंटन रेस्पो. को किया गया है। अपीलांट का इस अपील में कोई हित निहित नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 26.06.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06.04.2015 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा नजरी में विवादित भूमि रेस्पो.सं. 2 के मुरब्बा में स्थित होकर चिपती हुई है जबकि अपीलांट की चिपती हुई भूमि नहीं है। विवादित भूमि रेस्पो. की भूमि के साथ चिपती होने से एवं उसके द्वारा आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश करने एवं अन्य चिपते हुए काश्तकार अमरसिंह द्वारा रेस्पो.सं. 2 को आवंटन किये जाने में कोई एतराज नहीं करने को दृष्टिगत रखते हुए अधी.न्यायालय ने विवादित भूमि का रेस्पो .स 2 को आवंटन करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।जहां तक अपीलांट का यह कथन किया कि अपीलांट को पूर्व हुए आवंटन की अपील पारित आदेश के विरूद्ध नजरसानी पेश कर रखी है जिस आदेश की नजरसानी पेश हुई है उस आदेश के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। उक्त रिमाण्ड आदेश के कम में अपीलांट सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है। इस अपील के माध्यम से अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमसिंह परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी